न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-252 RAAJodhpur2024-101 RTA223 Udaram ors Vs Ghamaram etc

1. उदाराम पुत्र रामूराम
2. मोडाराम पुत्र रामूराम
3. चेतनराम पुत्र रामूराम
   जातियान् भाट, निवासीगण– मयाकौरलूणा, तहसील घंटियाली, जिला फलोदी।

––– अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. घमाराम पुत्र शिवजीराम
2. हडमानराम पुत्र रेवतराम
3. केली पत्नी मोतीराम
4. इसराराम पुत्र रेवतराम
5. भंवराराम पुत्र रेवतराम
6. दुलाराम पुत्र मोतीराम
7. करणाराम पुत्र मोतीराम
   सभी जातियान् भाट, निवासीगण– मयाकौर, तहसील घंटियाली, जिला फलोदी, हाल निवासी– ग्राम मोटावत, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली, जिला फलोदी।

––– रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर बाप द्वारा दिनांक 06 जून 2024 राजस्व मूल वाद संख्या 203/2020 घमाराम व अन्य बनाम उदाराम इत्यादि

––– 0 –––

उपस्थित –

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता अपीलांट्स

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 1, 2 व 6

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या 8

नि र्ण य

दिनांक : 18 फरवरी 2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 203/2020 अनवान घमाराम व अन्य बनाम उदाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 जून 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 18 जुलाई 2024 को पेश की गयी है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो. संख्या एक से तीन ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 188 के तहत एक वाद बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 46 रकबा 142.04 बीघा ग्राम मयाकोर तहसील घंटियाली के संबंध में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 जून 2024 के जरिये वादीगण का वाद स्वीकार कर लिया, जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अपीलांट्स के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादीगण के वाद में बाद तामील अपीलांट्स जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए थे तथा उक्त वाद दिनांक 18 सितंबर 2017 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गया था। तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा वाद रेस्टोर करने से पूर्व न तो अपीलांट्स को नोटिस जारी किये गये, न ही वादीगण के अधिवक्ता द्वारा रजिस्टर्ड ए.डी. सम्मनों की पोस्टल रसीदे विचारण न्यायालय के समक्ष पेश की गई तथा न ही विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। वादीगण द्वारा पूर्व में प्रस्तुत वाद में खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के साथ विभाजन की भूमि इस्तदुआ चाही थी, लेकिन वादीगण द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर बंटवाड़े की इस्तदुआ त्याग दी गई थी, ताकि अपीलांट्स को जानकारी न हो। प्रत्यर्थीगण के स्वयं के बंट में ग्राम गंगापुरा तहसील कोलायत, ग्राम खिंदासर तहसील कोलायत एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बीसनौक तहसील कोलायत में भूमि आई हुई है जो उन्हें पुश्तैनी रूप से प्राप्त हो रखी है। इसलिए उनका विवादित भूमि में कोई हक हिस्सा नही बनना पाया जाता है तथा न ही मौके पर वादीगण का कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजों को साबित करवाये बिना ही आलौच्य निर्णय पारित किया गया है, जबकि वादीगण द्वारा अपना वाद मौखिक व लिखित साक्ष्य से साबित नहीं किया है। इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने वादीगण के के वाद को साबित मानने में भारी भूल की है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण पर सम्मनों की सम्यक तामील नहीं करवाये जाने से अपीलार्थीगण विचारण न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष नहीं रख सके, जिस कारण उन्हे सुनवाई का अवसर नही मिल पाया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 जून 2024 को अपास्त फरमाया जावे एवं मामला उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिनुसार निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट वादीगण के दादा/ससुर रूपा पुत्र बग्सा के नाम दर्ज रहने से उनकी पुश्तैनी भूमि है तथा वादग्रस्त आराजी में वादीगण/रेस्पो. का 1/4 पुश्तैनी हिस्सा निहित है। अपीलांट्स को विचारण न्यायालय में दावे के विचारण की पूर्णतया जानकारी थी तथा पूर्व में भी उनके द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया था। विचारण न्यायालय द्वारा वाद रेस्टोर करने से पूर्व अपीलांट्स को नोटिस जारी किये थे, किंतु अपीलांट्स बावजूद सूचना विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विधिसम्मत निर्णय एंव डिक्री पारित की है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय में वादीगण की ओर से प्रस्तुत मूल वाद 18 सितंबर 2017 को उनकी अदम पैरवी में अदम हाजरी में खारिज हो चुका था। विचारण न्यायालय द्वारा वाद को पुनः रेस्टोर किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सीपीसी पर अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना वाद को पुनः रेस्टोर किया जाना पाया जाता है। तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा वाद को पुनः नंबर पर लिये जाने बाद सिविल प्रक्रिया संहिता में विहित प्रावधानों अनुसार अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीदात के आधार पर अपीलांट्स के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर अपीलांट्स को जवाब प्रस्तुति एवं साक्ष्य–सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकपक्षीय अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है।

यह उल्लेखनीय है कि वादीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सीपीसी प्रस्तुत कर विभाजन की इस्तदुआ को विड्रो कर लिया गया, जिससे मामले में विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी न होने से अपीलांट को मूल वाद की जानकारी न हो। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 203/2020 अनवान घमाराम व अन्य बनाम उदाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 जून 2024 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट्स को जवाब प्रस्तुति एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत मूल वाद का विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर